राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं० -29/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक : मई 19 ,2026

विषय- क्राइमसीन मैनेजमेंट मानक कार्यविधि के क्रियान्वयन व फील्ड यूनिट्स में नियुक्त प्रशिक्षित कार्मिकों के कार्यदायित्व के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया नवीन न्याय संहिता के सफल क्रियान्वयन के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 176 (3) में निहित प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु SOP तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय के निर्देशन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ द्वारा क्राइमसीन मैनेजमेंट की मानक कार्य विधि तैयार की गई, जिसे डीजी परिपत्र सं0-33/2025 दिनांक 29.08.2025 को जारी किया गया है। तत्क्रम में यह परिपत्र निर्गत किया जा रहा है।

न्याय संहिता में फोरेन्सिक से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों (Legal Provisions) का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (**BNSS**), 2023-

- गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान (धारा 54)
- तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग (धारा 105)
- 07 वर्ष एवं अधिक सज़ा से प्राविधानित प्रकरणों में SOC visit एवं collection of evidences में forensic experts की एवं videography की अनिवार्यता (BNSS, 2023 धारा 176(3))
- पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी (धारा 185)
- अभियुक्त की पहचान व सैंपलिंग (धारा 349)

जांच की समय-सीमा-

- महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध: जांच 2 माह में पूर्ण करना अनिवार्य।
- अन्य अपराध: फोरेन्सिक विश्लेषण को शीघ्र करने हेतु जांच 45–60 दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य।
- समयबद्ध न्याय प्रणाली, फोरेन्सिक-आधारित जांच प्रणाली।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023-

- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता (धारा 3)
- फोरेन्सिक रिपोर्ट की स्वीकार्यता (धारा 39)
- डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता (धारा 63)

महत्व-

- दोषसिद्धि दर में वृद्धि
- जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी
- तकनीक-आधारित, पारदर्शी साक्ष्य व्यवस्था

न्याय संहिता मे दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व मे निर्गत आदेशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं-

1. जनपदीय फील्ड यूनिट एवं फिंगर प्रिंट यूनिट इकाईयों को एकीकृत कर एक यूनिट के रूप में कार्य किया जायेगा, जिनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण के साथ NAFIS/CrPIs संबंधी समस्त कार्य-दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

2. उ0प्र0 शासन की नीति के अनुसार जनपदीय फील्ड यूनिट/ फिंगर प्रिंट यूनिट में नियुक्त कर्मियों एवं पूर्व में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 की इकाईयों द्वारा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षित कर्मियों को UPSIFS से क्राईमसीन मैनेजमेंट एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, लेबलिंग व फॉरवर्डिंग इत्यादि हेतु 06 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में सफल होने वाले कार्मिकों को सर्टीफिकेट प्रदान कर जनपदीय फील्ड यूनिट में फोरेन्सिक एक्सपर्ट के सहायक के रूप में तैनात किया जायेगा, जिनके कार्य दायित्वों का विवरण निम्नवत है-

- घटनास्थल निरीक्षण- विवेचक/ थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित करना, घटनास्थल से साक्ष्यों का संकलन, संरक्षण, पैकिंग व लेबलिंग, फॉरवर्डिंग करने में फोरेन्सिक एक्सपर्ट को सहयोग करना
- प्राथमिक परीक्षण- ब्लड, सीमेन, नार्कोटिक्स, जी.एस.आर. इत्यादि के प्राथमिक परीक्षण में फोरेन्सिक एक्सपर्ट को सहयोग करना

2. डीजी परिपत्र सं0-33/2025 दिनांक 29.08.2025 में वर्णित प्राविधान के अनुसार संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जनपदीय फील्ड यूनिट को घटनास्थल निरीक्षण हेतु सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा घटनास्थल निरीक्षण का log तैयार कराया जायेगा।

3. जनपदीय फील्ड यूनिट्स में नियमित फोरेन्सिक एक्सपर्ट की नियुक्ति होने तक इन प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा 7 वर्ष एवं अधिक सजा वाले अपराधों के अतिरिक्त कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित घटनास्थलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रदेश के समस्त जनपदों/कमिश्नरेट्स में 2-2 मोबाइल फोरेन्सिक वैन उपलब्ध हैं, जिनमें उपलब्ध किट्स/ उपकरणों का विवरण एवं इनके उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	किट/ उपकरण का नाम	उपयोग
I	Crime Scene Protection/ Cordoning Kit	घटनास्थल को संरक्षित करना घटनास्थल के प्रमुख स्थानों, मार्गों, साक्ष्यों को चिन्हित करना
Ii	Crime Scene Evidence Collection, Preservation & Packing Kit	सुरक्षित विधियों से घटनास्थल से समस्त साक्ष्यों (भौतिक, रासायनिक, जैविक इत्यादि) का संकलन करना साक्ष्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार संरक्षित करना साक्ष्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार पैकिंग करना

Iii	Crime Scene Preliminary Examination Kit	घटनास्थल से फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट इत्यादि को डेवलप कर संरक्षित करना Blood का प्राथमिक परीक्षण करना सीमेन का प्राथमिक परीक्षण करना GSR (Gun Shot Residue) का प्राथमिक परीक्षण करना
Iv	Crime Scene Preliminary Narcotics Drugs Detection Kit	निम्न नारकोटिक्स ड्रग्स का प्राथमिक परीक्षण- Heroin/ Smack/ Brown Sugar Opium Marijuana/Hashish Methamphetamine/ Amphetamine Cocaine/ Crack LSD
v	Video Camera	घटनास्थल की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी घटनास्थल पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी
vi	Smart Phone	ई-साक्ष्य ऐप्लीकेशन इत्यादि के प्रयोग हेतु
vii	Mini Refrigerator	जैविक/डी.एन.ए. साक्ष्यों को उचित तापमान पर संरक्षण हेतु
viii	External Hard Disk	डिजिटल डाटा को सुरक्षित रखने हेतु
ix	Laptop	घटनास्थलों से प्राप्त वीडियो/फोटोग्राफ्स को Hash Value के साथ संरक्षित करने हेतु

जनपदीय फील्ड यूनिट्स में तैनात प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा UPSIFS में प्रशिक्षण के दौरान बतायी गयी विधियों के अनुसार मोबाइल फोरेंसिक वैन में उपलब्ध किट्स/ उपकरणों का प्रयोग करते हुए अपराध स्थल से साक्ष्य संकलन किया जायेगा तथा चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए, निरीक्षण रिपोर्ट के साथ साक्ष्यों को सम्बन्धित विवेचक को सौंपा जायेगा।

5. जनपद नोडल द्वारा प्रत्येक यूनिट को ई-साक्ष्य की Login I'd उपलब्ध करायी जायेगी तथा ई-साक्ष्य ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराकर प्रशिक्षित कराया जायेगा। प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ई-साक्ष्य ऐप का प्रयोग किया जायेगा तथा संबंधित FIR के अनुसार डेटा को Synchronize किया जायेगा।

6. **UPSIFS से प्रशिक्षित कर्मियों को फील्ड यूनिट से अन्यत्र थानों/ इकाईयों में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तथा अन्य जनपद में स्थानान्तरण (सामान्यतः 03 वर्ष तक स्थानान्तरण न किये जाये) होने पर स्थानान्तरित जनपद की फील्ड यूनिट में ही नियुक्त किया जायेगा।**

7. UPSIFS से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा इकाई में नियुक्त अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा UPSIFS में आयोजित होने वाले रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में UPSIFS से पूर्व में प्रशिक्षित कर्मियों को ही नामांकित किया जायेगा।

8. इन कर्मियों को अवकाश अनुमन्य करते समय घटनास्थल निरीक्षण की अनिवार्यता के दृष्टिगत विकल्प की उपलब्धता को ध्यान में रखा जायेगा।

9. इन कार्मिकों को Operational Guidance जनपदीय फोरेन्सिक एक्सपर्ट/ क्राइम अनुभाग के प्रभारी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा Establishment से सम्बन्धित कार्य जनपदीय प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित कराये जायेंगे।

10. जनपद स्तर पर प्रभारी जनपद/ नोडल अधिकारी/ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी समीक्षा कर ऐसे प्रकरण जिनमें एफएसएल स्तर पर परीक्षण कराया जाना आवश्यक हो, उन्हीं केसेस को परीक्षण कराये जाने हेतु अग्रसारित करेंगे।

11. समस्त विवेचकों द्वारा BNSS व BSA के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रक्रियायें सम्पादित की जायेंगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 के अनुपालन हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा निर्देशों का पालन न करने का कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, गृह , उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक, (अभियोजन) उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उ0प्र0,लखनऊ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5- निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0,लखनऊ।
6- समस्त प्रभारी संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0।